न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 57 वर्ष 2023

आवेदक–श्री गिरधारी मुण्डा,
ग्राम–डुमरकुदर,
थाना–कसमार,जिला–बोकारो

क्रेता–श्री राम कृष्ण मुण्डा
ग्राम–डुमरकुदर,
थाना–कसमार, जिला–बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख साथ। 03

आदेश

यह वाद आवेदक श्री गिरधारी मुण्डा, पिता– स्व0 हुकुम दास, सभी ग्राम–डुमरकुदर, थाना–कसमार, जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)/**(क)** के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकवा	बिक्री रकवा	भूमि दर्जा
डुमरकुदर	129	27	343	10 डी0	05 डी0	दोन तीन
			378	19 डी0	09½डी0	दोन तीन

को वे बेटी की शादी हेतु मो0 2,00,000/रू0–(दो लाख) रूपये में क्रेता श्री राम कृष्ण मुण्डा, पिता– श्री कार्तिक मुण्डा, निवास ग्राम–डुमरकुदर, थाना– कसमार, जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 841/रा0, दिनांक 27.06.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांकः–403, दिनांक 01.08.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है किः–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों मुण्डा जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना–कसमार एवं जिला–बोकारो के निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में ठेला नया दर्ज है तथा पंजी–II के पृष्ठ सं0 286 भोलुम सं0 1 में शुकु नया के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा का है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में ठेला नया दर्ज है तथा पंजी–II के पृष्ठ सं0 286 भोलुम सं0 1 में शुकु नया के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे बेटी की शादी हेतु बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद

नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:—

01. बिक्रेता— खतियान की छायाप्रति है ,लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता— आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों मुण्डा जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना व जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान द्वारा हासिल हैं जिसे वे बेटी की शादी हेतु बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक श्री गिरधारी मुण्डा, पिता—स्व0 हुकुम दास, मुण्डा सभी ग्राम—डुमरकुदर, थाना—कसमार, जिला—बोकारो को निम्नांकित भूमि :—

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
डुमरकुदर, 129	27	343	10 डी0	05 डी0	हारू महतो	रास्ता	हान्दु मुण्डा	नीज क्रेता,
		378	19 डी0	09½डी0				
			कुल	14½ डी0 (चौदह पूर्णांक एक बटा दो डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 2,00,000/— (दो लाख) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता श्री राम कृष्ण मुण्डा, पिता— श्री कार्तिक मुण्डा, निवास ग्राम—डुमरकुदर, थाना— कसमार, जिला—बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

29.2.24 — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

29.2.24 — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.07.27 17:08:09 +05:30
Location: 192.168.119.43